

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 142/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

मानव सहू पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी द्वाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. कमला देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी द्वाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी द्वाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. सुषमा पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी द्वाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 15.4.2024

वादी मानव सहू ने प्रतिवादीगण कमला देवी वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी की बुआ है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के स्व. दादा, प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पति एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.301 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने उक्त

लगातार --2

कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवाराबुसार कर दिया क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तहसील संगरिया के अन्य चक में प्राप्त कर ली तथा प्रतिवादी सं. 3 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इरालिये प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी सम्बत्

2071-74 में 4.301 है। कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के स्व. दादा, प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पति एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.301 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी के स्व. दादा, प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पति एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.301 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम का नाम कलमजान किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 142/2024

श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
श्री सुमानगढ़(राज.)

बनाम् - वादी
श्री देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
श्री सुमा पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
श्री सुनीलद्वार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 15.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी के स्व. दादा, प्रतिवादी सं. 1
स्व. पति एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम के
तहसे तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 42/15 जमाबन्दी
व्यवत् 2071-74 में 4.301 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित
कर स्व. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद
इत्बाबिक डिक्री किया जावे।

निल मुब्लिक निल बाबत्
खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
तकको अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 15.4.2024 को

शरी किया जाता है।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया